न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र :88/2021
निर्णय दिनांक : 09/03/2022

राधा देवी खटोरिया पत्नी श्री सूरजनारायण खटोरिया जाति महाजन निवासी बी–13, ए.ई. शिव मार्ग, बनीपाके, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान प्रान्त में कृषि भूमि जिसके गत खसरा नं0 205 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी रामचन्दर पुत्र भैरू झूथा हरनाथ पिता भागीरथ काना पि. सोन्या के नाम से पुराने राजस्व रिकार्ड में अंकित है जिसमें से रामचन्दर काना झूथा ने गत खसरा न. 205 रकबा 16 बिघा 7 बिस्वा में अपने हिस्से मे से 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण को जरिए रजिस्ट्रेशन विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 28.03.9170 को श्री घीस्या पुत्र धन्ना के हक में विक्रय कर दी तपस्या श्री घीस्या पुत्र धन्ना द्वारा अपने हक में राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 30 दिनांक 27.06.1970 को खातेदारी दर्ज सरपंच द्वारा की गई जिसमें घीस्या पुत्र धन्ना के हक में 5 बीघा 7 बिस्वा नामान्तकरण स्वीकार करते हुये मौके पर कब्जा खसरा न0 205 स्वीकार करते हुये नामान्तकरण दर्ज किया गया जो आज तक चल रहा है। गत खसरा न0 205 के हाल खसरा नं0 160 रकबा 348 है0 में है। जो भूमि प्रबंधक विभाग राजस्व बन्दोबस्त करवायी, राजस्व मण्डल नियम 1957 के अन्तर्गत पर्चा लगान खसरा नं0 160 रकबा 348 है0 में करवाया 5 बीघा 7 बिस्वा की खातेदारी घीस्या पुत्र धन्ना के नाम एवं बिरदा पुत्र रामचन्दर हिस्सा 11 बीघा सा. देह अर्थात अंकित है। श्रीमान तहसीलदार साहब सांगानेर के आदेश विक्रय पत्र के मध्य नजर देखते हुये दिनांक 24.04.2010 के द्वारा नामान्तकरण संख्या 288 के पुष्ट संख्या पर संशोधित आदेश से दुलाराम, पांचूराम , बद्री , रूपा जगदीश, लाला पि. घीस्या के नाम हिस्सा 5 बीघा में स्थान पर 5 बीघा 7 बिस्वा शुद्व स्वीकार हुआ तत्पश्चात घीस्या पुत्र धन्ना का स्वर्गवास होने के उपरान्त खसरा न0 160 रकबा 348 है0 में उसके पुत्र दूलाराम, पांचूराम , बद्री , रूपा जगदीश लाला पि. घीस्या का हिस्सा 5 बीघा 7 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकित हुआ [illegible]क 20 अप्रेल 2011 को बद्री, रूपा पुत्रान् घीस्या जाति जाट निवासी [illegible]ोटा में अपनी कृषि भूमि हाल खसरा नं0 160 रकबा 348 है0 में 5 [illegible] 7 बिस्वा में हिस्सा 2/6 भाग सम्पूर्ण एवं खसरा नं0 169, 170/1132 171,172/1133 168, 170, 172 किता 07 कुल रकबा 385 है0 में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 2/6 भाग सम्पूर्ण का विक्रय पत्र श्रीमती राधा देवी खटोरिया के हक में करवा दिया जिसका पंजीकरण उपपंजीयक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:41 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(द्वितीय)

2022, 18:43

...नेर द्वितीय के यहा दिनांक 21.04.2011 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 129 के ... संख्या 135 क्रम संख्या 201139000135 पर पंजीबद्व किया गया है। दूलाराम पुत्र ... द्वारा दिनांक 23.04.2012 को दूलाराम पुत्र घीस्या ने अपनी कृषि भूमि खसरा ... 160 रकबा 348 है0 में अपना हिस्सा 5 बीघा 7 बिस्वा में 1/6 भाग में से 2/3 ... सम्पूर्ण एवं खसरा नं0 169, 170/1132, 171, 172/1133, 168, 170, 172 कुल ... 07, कुल रकबा 385 है0 में हिस्सा 1/18 में से 2/3 भाग सम्पूर्ण का विक्रय ... श्रीमती राधा देवी खटोरिया पत्नी श्री सूरज नारायण खटोरिया प्रथम पक्ष के हक ... करवा दिया है जिसका पंजीकरण उपपंजीयक सांगानेर द्वितीय के यहां दिनांक 23. ...2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 154 के पृष्ठ संख्या 75 क्रम संख्या ...01491 पर पंजीबद्व किया गया है। इस प्रकार दूलाराम पुत्र घीस्या द्वारा ... हिस्सा 1/6 पर हिस्सा 5 बीघा 7 बिस्वा में से 1/18 भाग दर हिस्सा 5 बीघा ... बिस्वा को रजिस्टर्स्ड उपहार पत्र द्वारा सूरज चौधरी पुत्र श्री दूलाराम के हक में ...तेदारी दर्ज नामान्तकरण संख्या 499 दिनांक 08.05.2012 को आई है। सूरज ...धरी पुत्र श्री दूलाराम द्वारा हाल खसरा न0 160 रकबा 348 है0, में अपना हिस्सा 1/18 दर हिस्सा 5 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती राधा देवी खटोरिया हक में विक्रय कर दी है जिसका उप पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर सप्तम के यहा दिनांक 30.04.2014 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 265 में पृष्ठ संख्या 71 क्रम संख्या 201400003806 पर पंजीबद्व किया गया है जिसमें वर्णित खसरा न0 160 के अलावा खसरा न0 169, 170/1132, 171, 172/1133, 168, 170 ,172 कुल किता 07 कुल रकबा 3.85 है0 में हिस्सा 1/54 भाग सम्पूर्ण में निहित 6 कमरे 3 टीन शेड में मोटर पम्प सेट विद्युत कनेक्सन का विक्रय किया गया है। उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि के संबंध में उपरोक्त सभी पंजीकृत विक्रय पत्रो के आधार पर राजस्व रिकार्ड में श्रीमती राधा देवी खटोरिया के नाम नामान्तकरण खोला गया जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। बद्री, रूपा , व दूलाराम इन तीनो का सम्पूर्ण हिस्सा श्रीमती राधा देवी खटोरिया के हक में विक्रय करने के पश्चात अब खसरा नं0 160 पर 5 बीघा 7 बिस्वा में 1/2 हिस्से की अधिकारिणी व काबिज मय स्वत्वाधिकारो सहित श्रीमती राधा देवी खटोरिया हो गयी है व शेष खसरा न0 160 5 बीघा 7 बिस्वा 1/2 हिस्से पर अधिकारी व काबिज पांचूराम, जगदीश व लाला संयुक्त रूप से हो गये है। किसी प्रकार से खसरा नं0 169, 170/1132, 171, 172/1133, 168, 170 ,172 कुल किता 07, कुल रकबा 3.85 है0 में 1/3 भाग के 1/2 हिस्से पर पांचूराम, जगदीश व लाला संयुक्त रूप से काबिज काश्त हो गये है। वर्तमान समय में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष ने आपसी सहमति से उपरोक्त वर्णित अपनी खातेदारी कृषि भूमि का वापस अदला बदली विनिमय पत्र कर लिया है। जिसके अनुसार खसरा न0 160 रकबा 3.48 है0 में हिस्सा 5 बीघा 7 बिस्वा 1/2भाग सम्पूर्ण पांचूराम , जगदीश लाला पुत्रान घीस्या ने श्रीमती राधा देवी खटोरिया पत्नी श्री सूरज नारायण खटोरिया हक में कर विनिमय पत्र करके मौके पर पूर्व साईड पर कब्जा करवा दिया है। अर्थात ... किया है जिस पर श्रीमती राधा देवी खटोरिया काबिज हो गयी है तथा खसरा नं0 ... पर हमारा किसी भी अंश पर कोई अधिकार नही रहेगा एवं अब खसरा ... किसी भी अंश पर कोई अधिकार नही रहेगा एवं खसरा नं0 160 सम्पूर्ण ... राधा देवी खटोरिया काबिज काश्त अधिकारिणी हो गयी तथा खसरा नं0 160 पर पांचूराम, जगदीश व लाला पुत्रान घीस्या का किसी भी अंश पर कोई अधिकार नही रहेगा। प्रार्थी द्वारा घीस्या पुत्र धन्ना का सम्पूर्ण हिस्सा उसके वारिसान दूलाराम, पाचराम बद्री रूपा , जगदीश व लाला से क्रय कर लिया है इस प्रकार सम्पूर्ण खाते में प्रार्थी का हिस्सा कब्जा काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:41 IST
Reason: SelfAttested

...व रिकार्ड जमाबन्दी संम्वत 2025 से 2029 में साबिक खसरा नं० 205 रकबा 16 ... 7 बिस्वा राजस्व रिकार्ड अमल दरामद है कि जिसके एकीकरण के बाद नये ... 160 बनाये गये एवं राजस्थान सरकार द्वारा बीघा बिस्वा भूमि को हैक्टर तब्दील ... जाने के आदेश प्रार्थी के खसरा नं० 160 में संम्वत से 4.14 है० स्थान पर 3.48 ... दर्ज हो गयी है जिसकी राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी मे दुरूस्त किया जाने भविष्य के ... आवश्यक व न्यायोचित है।

... खसरा नं० 205 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा जमाबन्दी संम्वत 2025 से 2029 ... क्षेत्रफल एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी हाल खसरा नं० 160 वाके ग्राम ...सिंहपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की जमाबन्दी की फोटो प्रति अवलोकनार्थ ... में प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक ...12.2021 को तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थना पत्र के जवाब हेतु तहरीर जारी की ...। तहसीलदार सांगानेर के पत्रांक/भू.अ./कोर्ट/2022/682 दिनांक 04.01.2022 को ...र्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया जो पत्रावली मे शामिल मिसल है। प्रार्थीया अधिवक्ता ने ... प्रार्थना पत्र पर बहस करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना ...त्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अतं में निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड ...जमाबन्दी संम्वत 2025 से 2029 में साबिक खसरा नं० 205 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा ...राजस्व रिकार्ड अमल दरामद है कि जिसके एकीकरण के बाद नये नंम्बर 160 बनाये ...गये एवं राजस्थान सरकार द्वारा बीघा बिस्वा भूमि को हैक्टर तब्दील किये जाने के ...आदेश प्रार्थी के खसरा नं० 160 में संम्वत से 4.14 है० स्थान पर 3.48 है० दर्ज हो ...गयी है जिसको राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

बहस उमयपक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार ...सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थीया की ओर से पेश प्रार्थना ...पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार सांगानेर ...को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जयसिंहपुरा वास भाखरोटा, पटवार हल्का ...जयसिंहपुरा भू.अ.नि.क्षे. मुहाना तह० सांगानेर जिला जयपुर में स्थित जमाबन्दी संम्वत ...2025 से 2029 में साबिक खसरा नं० 205 रकवा 16 बीघा 7 बिस्वा को हैक्टेयर में तब्दील ...किये जाने पर प्रार्थीया के खसरा नम्बर 160 में रकबा से 4.14 हैक्टेयर के स्थान पर 3.48 ...हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया है। अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का विधिसम्मत परिक्षण कर ...नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार ...सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल ...दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/03/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:41 IST
Reason: SelfAttested

2022, 18:43